न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3745–एक/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 07–09–13 पारित आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 183/11–12 अपील.

शकुनबाई पत्नी लालाराम चिढ़ार,
निवासी ग्राम मदनयाई, तह0 त्योंदा,
जिला विदिशा, म0प्र0 ––– आवेदक

विरूध्द

1– छोटेलाल आत्मज दुज्जी अहिरवार
2– कालूराम आत्मज सुन्दरलाल अहिरवार
3– सुरेन्द्रसिंह आत्मज रणवीरसिंह दांगी
4– लालाराम आत्मज रामचरण चिढ़ार
5– मुकेश आत्मज रामचरण चिढ़ार
6– दुर्गसिंह आत्मज सालकराम अहिरवार
समस्त निवासी ग्राम मदनयाई, तह0 त्योंदा,
जिला विदिशा, म0प्र0 ––– अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के अपील प्रकरण कमांक 183/11–12 में पारित आदेश दिनांक 07–09–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत महोली के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर, विदिशा ने ग्राम मदनयाई में चौकीदार का पद सृजित कर प्रकरण तहसीलदार को अग्रेषित किया। तहसीलदार, त्योंदा व्दारा इश्तहार जारी कर कोटवार

के पद हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित किये। आवेदनपत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार व्दारा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं थाना प्रभारी त्योंदा से चरित्र सत्यापन कराने के बाद अपने आदेश दिनांक 29–04–11 व्दारा संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत आवेदक शकुनबाई को स्थाई कोटवार नियुक्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक क्रमांक–1 छोटेलाल आ0 दुज्जी अहिरवार व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14–05–12 व्दारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। व्दितीय अपील आवेदक शकुनबाई ने आयुक्त, भोपाल संभाग के समक्ष प्रस्तुत की। आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 07–09–2013 व्दारा अपील खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदिका शकुनबाई अनुसूचित जाति की है और उसके व्दारा चौकीदार के पद हेतु विधिवत आवेदनपत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार व्दारा प्राप्त सभी आवेदनपत्रों पर जॉच की गयी और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं थाना प्रभारी के चरित्र सत्यापन के बाद आवेदिका को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया। तहसीलदार व्दारा सभी उम्मीदवारों की तुलनात्मक स्थिति का विधिवत अध्ययन कर सर्वोपरि उम्मीदवार को चौकीदार पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये हैं। अनावेदक छोटेलाल के विरूध्द आपराधिक प्रकरण होने से उसे चौकीदार के पद हेतु उपयुक्त उम्मीदवार तहसीलदार ने मान्य नहीं किया है। तहसीलदार व्दारा नियुक्ति के पूर्व संहिता की धारा 230 में बनाये गये नियमों का विधिवत पालन किया है और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं थाना प्रभारी की रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। अपीलीय न्यायालयों व्दारा पुनः ग्राम पंचायत का ठहराव/प्रस्ताव प्राप्त नहीं करने के आधार पर अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक क0–1 छोटेलाल 8वी पास होकर बेरोजगार है और मजदूरी करता है। अनावेदक के विरूध्द आपराधिक प्रकरण पंजीबध्द नहीं है और ना ही उसे दण्डित या उस पर जुर्माना किया गया है। तहसीलदार ने ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया और ना ही कोटवार पद पर नियुक्ति के पूर्व अनावेदक को सुनवायी का अवसर प्रदान किया। कोटवारी नियमों का पालन नहीं करने से अपीलीय न्यायालयों ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि कोटवार पद हेतु आवेदनपत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार व्दारा सभी आवेदनपत्रों पर पुलिस थाना त्योंदा से चरित्र सत्यापन कराया गया है। थाना प्रभारी ने अपनी सत्यापन रिपोर्ट में छोटेलाल अहिरवार के विरूध्द आ.प्र.क. 133/03 धारा 341, 294, 323, 306, 34 होना दर्शाया है तथा अन्य किसी भी उम्मीदवार के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना अंकित किया है। तहसीलदार व्दारा ग्राम पंचायत महोली का ठहराव/प्रस्ताव भी प्राप्त किया गया है जिसमें कालूराम पुत्र सुन्दरलाल जाति नामदेव को कोटवार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने कोटवार के पद पर नियुक्ति के पूर्व संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का विधिवत पालन किया है। तहसीलदार ने ग्राम पंचायत की अनुशंसा अनुसार कालूराम पुत्र सुन्दरलाल को कोटवार इस आधार पर नियुक्त नहीं किया है कि उसने पढ़ाई लिखाई के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं तथा उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। कोटवार नियमों के नियम 2 के अनुसार नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के मत में शारीरिक अथवा मानसिंक दुर्बलता के कारण पद के कर्तव्यों का निर्वाहन करने में अयोग्य व्यक्ति को कोटवार पद के लिये पात्र होना नहीं माना है। ऐसी दशा में तहसीलदार व्दारा कोटवार के कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए सभी उम्मीदवारों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अपने विवेकानुसार आवेदक शकुनबाई को कोटवार नियुक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी थी जिसे अपीलीय न्यायालय ने अनावेदक क0–1 छोटेलाल की अपील के आधार पर निरस्त करने में त्रुटि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनांक 07–09–13 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14–05–12 निरस्त किये जाते हैं। परिणाम स्वरूप तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–04–11 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,